FORM No. III

…अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खण्डेला (सीकर)

फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खण्डेला (सीकर)

…लय ~~सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक~~ मजिस्ट्रेट खण्डेला

……सोहनराम…… बनाम ……भूमिधारी……

मुकदमा नं. ……5…… सन् 2019

…दमा ……प्रार्थना पत्र 136 LRAct

…क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
…19	प्रार्थी की ओर से वकील श्री रामकरण बिजारणिया ने वाद/प्रार्थना पत्र U/S 136 LRAct पेश किया। प्रार्थी पत्र ~~दर्ज रजिस्टर कायम किया गया। बाद पत्र दर्ज रजि. सम्मन किये जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जावे। प्रतिवादीगण को तलब तलब किया जावे आदेश जारी~~ ~~किया जावे~~ ~~पत्रावली~~ दिनांक 16-10-19 को पेश हो। (sd.)	
	16-10-19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। कार्यवाही तामील अप्रार्थी स्र्व०। हेतु नियत दिनांक 21-10-19 को पेश हो। (sd.)	
	21/10/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी सं० 1 की तामील सम्यक रूप से होकर लौटी है। बावजूद सम्यक तामील अप्रार्थी सं० 1 अनुपस्थित रहे अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील प्रार्थी	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	ने बहस हेतु निवेदन किया। बहस सुनी गयी। दौरान बहस कथन किया कि कृषि भूमि ख०नं० 165, 166 कित्ता-2 कुल रकबा 2.48 हे० तन ग्राम सुखसिंह का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान मे अवस्थित के 1/4 हिस्सा की खातेदारी में प्रार्थी का नाम सोना पुत्र मालाराम गलत दर्ज है प्रार्थी का वास्तविक नाम सोहनलाल है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक पासबुक मे प्रार्थी का सही नाम सोहनलाल अंकित है अतः राजस्व रिकार्ड मे भी प्रार्थी का नाम सोना पुत्र मालाराम की जगह सोहनलाल पुत्र मालाराम दुरुस्त किया जावे। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम सोना पुत्र मालाराम है तथा प्रार्थी के राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक में सोहनलाल पुत्र मालाराम अंकित है। तथा ग्राम पंचायत भादवाड़ी ने भी दिनांक 11.9.19 को प्रमाण पत्र इस आशय का जारी किया है कि सोहनलाल व सोना एक ही व्यक्ति है अतः उपरोक्तानुसार दस्तावेजात के अवलोकन से साबित होता है कि प्रार्थी का सही नाम सोहनलाल पुत्र मालाराम है। अतः चाहि गयी दुरुस्ती किया जाना उचित है। इसलिए आदेश दिया जाता है कि:- **आदेश** कृषि भूमि ख०नं० 165, 166 कित्ता 2 कुल रकबा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2.48 है० तन ग्राम सुखसिंह का बास पचार हल्का गाढ़वाड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान के राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि नाम सोना पुत्र मालाराम के स्थान पर सोहनलाल पुत्र मालाराम दुरुस्त किया जावे। तदनुसार पालना हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर जबर सेवन हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 2.10.19 को खुले इजलास सुनाया गया। 2.10.19 (रणजीत सिंह) RAS	

Scanned by CamScanner